



**dk; kÿ; %jkph uxj fuxe| jkphA**

**dpgjh jkM| jkph| fi u & 834001**

**e-mail :- support@ranchimunicipal.com**

पत्रांक :- 4029/Eng

दिनांक :- 20.12.2017

**vfregRoi wKz vke I puk**

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या WP (PIL) No.-6141/2008 & WP (PIL) No.- 1872/2010 के अनुपालन में नागाबाबा खटाल को अतिक्रमण मुक्त किया गया था, किन्तु निगम के संज्ञान में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अवहेलना करते हुये कतिपय लोगों (1) मनोज यादव (2) रामविलाश यादव (3) राम लाल यादव (4) मुंगलाल यादव (5) बिनोद यादव (6) राजदेव यादव (7) मछीज यादव एवं अन्य के द्वारा अस्थायी गाय भैंस का खटाल एवं सब्जी बिक्रेता (1) महेन्द्र यादव (2) बिनोद (3) वंशी (4) जगरनाथ (5) धिरज कुमार एवं अन्य के द्वारा पुनः अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो कि उक्त स्थल पर जनहित में सब्जी मार्केट का निर्माण होना अनिवार्य है।

अतः एतद् द्वारा सभी संबंधित अतिक्रमण कारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक- 22.12.2017 के संध्या/रात्रि तक उक्त स्थल को पूर्ण रूप से खाली कर दें, अन्यथा दिनांक- 23.12.2017 के सुबह से प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उन्हें उस स्थल से बल पूर्वक खाली कराया जायेगा एवं विधि सम्मत दण्ड राशि भी वसूली जायेगी एवं निर्धारित समय के अन्दर आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानते हुये कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने पर हुये व्यय की वसूली भी की जायेगी।

**bl s l [r rkfdn tkuA**

**g0@&  
mi uxj vk; Ør  
राँची नगर निगम, राँची।**



एक कदम स्वच्छता की ओर